न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 303 / 2021 तारीख रजू :– 23.06.2021

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार हरसोलिया

R.A.S.

सुनीता पत्नि बृजेश जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————— वादीया

बनाम

1. दूल्हेराम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
2. सुरेश चन्द पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) सूरौठ जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं
स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1. श्री अशोक नीमनका एडवाकेट वादीया।

निर्णय

दिनांक :– 25.10.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया का दावा बाबत तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 31.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146 / 3068 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी को बहिस्सा 2 / 3 भाग का तथा प्रतिवादी सं01 व 2 को बहिस्सा 1 / 6, 1 / 6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था तथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दियेगये कि उपरोक्तानुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146 / 3068 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का पक्षकारान के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार सूरौठ ने पत्रांक एलआर/2023/1495 दिनांक 19.10.2023 से बंटवारा स्कीम पेश की गई, जो शामिल मिशल है।

दिनांक 23.10.2023 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा उनके अधिवक्ता बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए इसलिए तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर वादीया अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादीया ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादीया का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के पत्रांक एलआर/ 2023/1495 दिनांक 19.10.2023 से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया। मुताविक बंटवारा स्कीम खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146/3068/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वादीया सुनीता पत्नि बृजेश हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 ओण्ड मीना खातेदार के हिस्से में आया है तथा खसरा नम्बर 2146/3068/2 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ प्रतिवादीगण दूल्हेराम, सुरेश चन्द पिसरान रामधन बहिस्सा बराबर जाति मीना सा0देह खातेदार के हिस्से में आया है। मुताविक प्राथमिक डिक्री व नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 में दर्ज वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार तहसीलदार सूरौठ द्वारा बंटवारा स्कीम सही पेश की गई है। मुताविक बंटवारा स्कीम वादीया के हिस्से में आयी आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें इसके लिए वादीया विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146/3068/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की भी अधिकारी साबित हो चुकी है। ऐसे हालात में वादीया का दावा बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा को तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा को तहसीलदार सूरौठ के पत्रांक एलआर/ 2023/1495 दिनांक 19.10.2023 से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146/3068/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादीया सुनीता पत्नि बृजेश जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 2146/3068/2 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का प्रतिवादीगण दूल्हेराम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ को हिस्सा 1/2, सुरेश चन्द पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146/3068/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीया के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति मय ट्रेस तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 25.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन

इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया, आर0ए0एस0

उनवान

सुनीता पत्नि बृजेश जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——————————————————————— वादीया

बनाम

1. दूल्हेराम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
2. सुरेश चन्द पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) सूरौठ जिला करौली ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 303 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व फाईनल डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सूरौठ के पत्रांक एलआर / 2023 / 1495 दिनांक 19.10.2023 से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146 / 3068 / 1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादीया सुनीता पत्नि बृजेश जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 2146 / 3068 / 2 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का प्रतिवादीगण दूल्हेराम पुत्र रामधन जाति मीना —

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवासी सूरौठ को हिस्सा 1/2, सुरेश चन्द पुत्र रामधन जाति मीना निवासी सूरौठ को हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 2144 रकबा 0.16 है0, 2146/3068/1 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादीया के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहंसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति मय ट्रेस तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-10-23 को यह डिक्री जारी की गई।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली